हिमालय सेवा संघ, राजघाट, नई दिल्ली - ११०००१

उत्तराखण्ड की वन समस्याएं और समाधान

- चण्डीप्रसाद भट्ट

पूर्व इतिहास:

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक उत्तराखण्ड के वन उनके आस-पास के गांवों की सांझी सम्पत्ति (गांव संजायत) माने जाते थे । अंग्रेजी राज्य आने पर भी पहले-पहले (१८१७ से १८२३ तक) ट्रेल ने लगान की वसूली के लिये बन्दोबस्त किया और गांवों की सीमाएं तय की । इसे साल अस्सी को पैमाइश कहा जाता है । तराई के चौड़ों के साल के वनों का रेलवे स्लीपरों के लिये (पटरी बिछाने) उपयोग किया गया और टिहरी रियासत में विल्सन ने पहले वन्य पशुओं की खालों का और बाद में देवदार की लकड़ी को काटने का राजा से नाम मात्र की कीमत पर ठेका ले लिया । वन सम्पदा की व्यापारिक महत्व प्रकट होने के साथ-साथ वनों पर राज्य का अधिकार कायम होने लगा । सन् १८६८ में पहला वन-कानून बना और उसके साथ ही साथ पर्वतीय जिलों में सुरक्षित वन कायम किये गये और उन पर काश्त करने के जनता के अधिकारों पर अंकुश लगाया गया । सन् १८७८ तक अल्मोड़ा, नैनीताल तथा गढ़वाल के वर्ष वनों का सीमांकन किया गया । उन्हें संरक्षित (प्रोटेक्टेड) करार दिया गया । १४ अक्टूबर १९७४ के आदेश के द्वारा जनता पर सुरक्षित वनों पर वर्ष पाबन्दियां लगाई गईं । वे सड़क के दोनों ओर १०० फुट तक कोई पेड़ नहीं काट सकते थे, गांव की सीमा के ५ मील के बाहर कोई काश्त नहीं कर सकता था । वन सीमा में बन्जर भूमि को आबाद करने में भी पाबन्दियां लगाई गई थीं । देवदार, चीड़, पापड़ी, साल, शीशम और सेर को सुरक्षित पेड़ घोषित किया गया । इससे लोगों में बड़ा असन्तोष हुआ ।

वन सुधार के वन आन्दोलन:

इसका जनता की ओर से विरोध हुआ । सन् १९०७ में अल्मोड़ा में मेजर जनरल हवीलर के सभापतित्व में एक विशाल जनसभा हुई । टिहरी गढ़वाल में खास पट्टी इलाके में इसी वर्ष वनों की सीमाबन्दी करने वाले अरण्डपाल श्री सदानन्द को लोगों ने कपाल (दाग) डाम कर अपना विरोध प्रकट किया । कुमायूं के लोगों को शांत करने के लिये गवर्नर हेवेट को बरेली दरबार में घोषणा करनी पड़ी कि सरकार का इरादा जंगलों से पैसा कमाने का नहीं है और जंगलों से होने वाली आय को कुमायूं जनता के कल्याण में खर्च करना चाहता है ।

सन् १९११-१८ तक कुमायूं में वन-बन्दोबस्त हुआ और ३००० वर्ग मील को चौड़ सुरक्षित वन घोषित किया गया । इसका जनता की ओर से प्रबल विरोध हुआ और जंगल जलाये गये । वन सम्बन्धी ठिनाइयों की जांच के लिये सन् १९२१ में एक बार सदस्यीय कमेटी नियुक्त की गई । इस कमेटी की सिफारिशों के अनुसार नदियों के प्रस्रवण क्षेत्र वाले जंगलों को सुरक्षित वन घोषित किया गया, लेकिन छुटपुट वनों (१७४२ वर्ग मील) को सुरक्षित वनों की सीमा से निकाल दिया गया । वनों को सुरक्षित के अलावा प्रथम और द्वितीय श्रेणी के वनों में विभाजित किया गया ।

टिहरी-गढ़वाल के रंवाई क्षेत्र में वनों की सीमा निर्धारण और वन-सम्पदा के उपयोग पर जनता पर पाबन्दी लगाने के विरोध में सन् १९३० में जाय के खिलाफ बगावत हुई और लोगों ने आजाद सरकार कायम करदी, जिसकी समाप्ति तिलाड़ी के मैदान में ३० मई १९३० को गोली काण्ड में हुई ।

पिछले प्रयास:

कुमायूं में सन् १९३८ में लोकप्रिय सरकार बनते ही वन सम्बन्धी कठिनाइयों के बारे में वन समिति की सिफारिशें मांगी गई । सन् १९५९ में श्री बलदेवसिंह आर्य उपमंत्री की अध्यक्षता में कुमायूं वन तथ्य शोधक समिति की नियुक्ति की गई । जिसके छ: सदस्यों में श्री आर्य के अतिरिक्त दो पिछले मंत्री श्री नारायण दत्त तिवाड़ी और श्री नरेन्द्रसिंह भण्डारी भी थे । इस समिति ने ९९९ लोगों से साक्षात्कार किया और इसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं :-

१- वनों की व्यवस्था में वनों का सुरक्षा, विकास और विस्तार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । इसके साथ स्थानीय लोगों की और मुख्यत: ग्रामीण जनता की वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति की जानी चाहिए ।

२- सरकार की ओर से यह घोषणा की जानी चाहिए कि वह जनता के हक-हकूकों एवं रियायतों का आदर करेगी । चन्द नागरिकों के लाभ के लिये जंगलों का विनाश नहीं किया जा सकता ।

३- वन विभाग के अधिकारियों को जन सम्पर्क की ट्रेनिंग दी जाये , वन विभाग एक मार्ग दर्शिका प्रकाशित करे, जिसमें लोगों के हक-हकूकों, नये वन लगाने में ग्राम सभाओं तथा क्षेत्र समितियों की सलाह ली जावे ।

४- व्यापारिक वनों के अलावा किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के पेड़ भी लगाये जायें ।

५- वन विभाग जड़ी-बूटी की खेती करे ।

६- गांव के नजदीक के वन पंचायती वन करार दिये जायं ।

७- टिहरी गढ़वाल में वन पंचायतें कायम की जायें ।

८- वनों की पुन: सीमा निर्धारण, हक-हकूकों पर पुर्नविचार आदि के लिये टिहरी गढ़वाल में वन बन्दोबस्त किया जावे या यह समस्या अन्य तरीके से हल की जावे ।

९- अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल में एक-एक विशेष अधिकारी इन समस्याओं के हल के लिये नियुक्त किये जावें ।

१०- जड़ी-बूटी संग्रह और लघु वन उपजों के संग्रह पर कोई रोक न लगाई जाय ।

११- गूजरों को सहारनपुर और बिजनौर में निश्चित स्थानों पर बसाया जाये । उनके जानवरों की संख्या पर पाबन्दी लगाई जाय ।

१२- लीसा निकालने के औजार स्थानीय लोगों के द्वारा बनवाये जांय और इसके लिये स्थानीय सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जाय और लीसा निकालने की ठेकेदारी प्रथा धीरे-धीरे समाप्त की जाय और लीसा निकालने का काम मजदूरों की सहकारी समिति को दिया जाय ।

१३- वन विभाग सहकारी विभाग के परामर्श से कुमायूं के कुछ स्थानों में प्रयोग के लिये वन श्रमिक सहकारी समितियों की स्थापना करें ।

१४- कुमायूं क्षेत्र में वन सम्पदा पर आधारित उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता दी जावे ।

१५- खनिज सम्पदा को निकालने में स्थानीय सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जावे । रानीखेत की तरह गढ़वाल और टिहरी में भी औषधि निर्माण शालाओं की स्थापना की जावे ।

नई परिस्थितियां:

परन्तु इस समिति की सिफारिशें अब तक भी लागू नहीं की गई । इसके विपरीत उत्तरी सीमा में चीनी हलचल के पश्चात वहां वनों पर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं तथा स्थानीय जनता व वनों के सम्बन्ध पर भारी प्रभाव पड़ा है ।

सुरक्षा की दृष्टि से उत्तरी सीमा में दूरस्थ इलाकों में मोटर सड़कें बनी हैं, जिनसे अलग-थलग पड़े वन क्षेत्र व्यापार के लिये खुल गये और बड़े व्यापारियों ने नाम मात्र की कीमत पर वन विभाग से इनके ठेके लेकर वनों की हजामत करदी । इसके फलस्वरूप स्थानीय जनता के उपयोग में आने वाली लकड़ी दुर्लभ हो गई तथा कृषि यंत्रों के काम में आने वाले अंगू आदि पेड़ों को सुरक्षित पेड़ करार दिया गया ।

वन सम्पदा का सड़कों के निर्माण व अन्य विकास कार्यों के लिये बेरहमी से विनाश हुआ । सीमान्त सड़क निर्माण विभाग, सेना व अन्य कार्यों के लिये बड़ी संख्या में लोगों के आने के कारण जलाऊ लकड़ी के लिये उपयोगी वनों को काटा गया । चम्बा, मसूरी क्षेत्र में फलपट्टी के लिये चोटियों के कीमती बांज के जंगल को छांटा गया । हेलंग, गुलाबकोटी तथा पातालगंगा की चोटियों के फर एवं अन्य पेड़ों को भी काटा गया इसे बेलाकूची (अलकनन्दा) और अन्य कई स्थानों की विनाशकारी बाढ़ें आई । बाढ़ें व भूस्खलन पिछले कुछ वर्षों से उत्तराखण्ड के जीवन की एक नियमित घटना हो गई है और वनों के एवं मोटर सड़कों के निकट का जन-जीवन असुरक्षित हो गया है ।

दूसरी ओर देश की सुरक्षा के लिये कार्यशील आबादी का पहाड़ों से बाहर पलायन रोकने की एक नई चेतना भी जागृत हुई है । इसके लिये एक मात्र उपाय वन सम्पदा पर आधारित उद्योगों पर रोजगार देना ही है । परन्तु

इसके मुकाबले में बड़े-बड़े उद्योग (इण्डियन रेजिन एण्ड टरपैनटाइन फैक्टरी) आदि खड़े हैं, जिनको सरकार का विशेष संरक्षण प्राप्त है । स्थानीय प्रयासों के लिये गुंजाइश नहीं है ।

सुझाव:

१- बन्दोबस्त द्वारा किया जाए

आबादी के बढ़ने के साथ-साथ जनता की आवश्यकतायें भी बढ़ गई हैं और वन सम्पदा का स्थानीय उपयोग के लिये संदर्भ भी बदल गया है । अब लोगों को चरान-चुगान के अलावा छोटे उद्योगों की स्थापना के लिये भी वन उपजों की आवश्यकता है । इसलिये ६० वर्ष पूर्व हुए वन-बन्दोबस्त को दुहराना सबसे आवश्यक और पहली मांग है ।

२- वन श्रमिक सहकारी समितियां बनें

वन सम्पदा की मौजूदा ठेकेदारी पद्धति से नीलामी समाप्त कर गुजरात और महाराष्ट्र के पैटर्न पर रचनात्मक कार्य की संस्थाओं के मार्ग दर्शन में वन श्रमिकों की सहकारी समितियों की स्थापना । इन समितियों की सफलता के लिये वनाधिकारियों को साझेदार माना जावे । इन समितियों को चुनावी पद्धति से दूर रखा जावे इनको आगे बढ़ाने के लिये यह भी आवश्यक है कि सत्ता की राजनीति से इनके सदस्य मुक्त हों ।

बड़ेथी, उत्तरकाशी में पहले ही एक वन श्रमिक सहकारी समिति स्थापित है, परन्तु वन विभाग की उपेक्षापूर्ण नीति एवं बम्बई राज्य के समान सुविधाएं न मिलने के कारण वह निष्क्रिय है ।

३- जड़ी-बूट निकालने की ठेकेदारी प्रथा बन्द हो

जड़ी-बूटियां निकालने के ठेके परन्तु बन्द किये जावें । इसके लिये टिहरी-उत्तरकाशी में अभी तक ठेकेदारी पद्धति चल रही है । रायल्टी की ठेकेदारी प्रथा भी समाप्त की जावे । जड़ी-बूटी निकालने के बहाने बड़े ठेकेदार दूरस्थ वनों में घुसकर कस्तूरी मृगों का सफाया कर रहे हैं । इसे स्थानीय संस्थाओं को नाम मात्र की रायल्टी पर दिया जावे ।

४- सबसे गरीब समुदाय की सहायता

रिंगाल, जिससे गरीब हरिजन चटाई व टोकरी बनाकर जीजी कमाते हैं तथा अन्य लघु वन उपजों का कारीगरों को निःशुल्क उपयोग करने की इजाजत दी जावे तथा लघु वन उपजों की नीलामी समाप्त की जाय ।

५- लीसा निकालने की ठेकेदारी प्रथा बन्द हो

लीसा निकालने की ठेकेदारी विनाशकारी पद्धति, जिसके कारण बड़े ठेकेदारों द्वारा बाहर से लाये गये मजदूरों से बांज के जंगलों का बेरहमी से नाश किया जा रहा है, तत्काल समाप्त की जावे । इस काम को स्थानीय मजदूरों द्वारा विभाग स्वयं करावे या स्थानीय संस्थाओं द्वारा करायें ।

६- स्थानीय संस्थाओं को प्रोत्साहन व छोटी इकाइयों की स्थापना

लीसा, लकड़ी आदि वन उपजों पे ऊपर आधारित छोटी इकाइयों की स्थान-स्थान पर स्थानीय संस्थाओं से स्थापना कराई जाये । इन्हें रियायती मूल्य पर पूरा कच्चामाल देने का आश्वासन हो तथा पूंजी व टैक्नीकल सहायता दी जावे । सुविधाएं मिलने पर निकट भविष्य में स्थानीय स्तर पर अनेक इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं और विभिन्न प्रकार के उद्योग जैसे- लीसा निकालना, दियासलाई या पैंसिल बनाना, वनौषधि, मधुमक्खी, फर्नीचर, खेलकूद का सामान, पैकिंग सामान इत्यादि - प्रारम्भ किये जा सकते हैं ।

७- स्थानीय जनता का लगाव और भाईचारे की नीति

वनों का संरक्षण वन-वासियों को सन्तुष्ट रखे बिना असम्भव है और वन-वासियों को वन सम्पदा से रोजगार पाने के अपने मूलभूत अधिकारों की घोषणा केवल न्यायसंगत ही नहीं है, बल्कि उसके पीछे वन-विज्ञान के विशेषज्ञों का भी कट्टर समर्थन है ।

आज भी उत्तराखण्ड के बीड़ के वनों से बेरेली की तारपीन और बिरोजा फैक्टरी सहारनपुर का स्टार पेपर मिल्स आदि कई कारखाने चल रहे हैं । इनसे वनवासियों को कोई लाभ नहीं क्योंकि ये वन क्षेत्रों से बहुत दूर हैं । दूसरे अन्य केन्द्रित उद्योगों की तरह इनका मुख्य लाभ कारखानेदार को ही मिलता है । आज भी उत्तराखण्ड में स्थानीय संस्थाओं एवं व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा जो यूनिटें तारपीन, बिरोजा आदि और लकड़ी को लगी हैं, उन्हें उनकी क्षमता का कच्चा माल न तो यथासमय मिलता है और जो माल मिलता है वह साल के तीन महीने ही चल पाता है बाकी नौ महीने यूनिटें बन्द रहती हैं और इनकी दरों में भी समानता नहीं है । वन क्षेत्रों में वनाधारित उद्योगों को कायम करने की दिशा में बरेली फैक्टरी के सहयोग से पर्वतीय विकास निगम ने भी बड़कोट (उत्तरकाशी) तिलवाड़ा (चमोली) और बम्पावत (पिथौरागढ़) में ५० हजार मन वार्षिक क्षमता की तीन बड़ी लीसा फैक्टरियां खोलने की योजना बनाई है । इस प्रकार बड़ी लीसा फैक्टरियां भी समस्या का समाधान नहीं हैं । क्योंकि पहाड़ों की आबादी बिखरी हुई है । उद्योगों में स्थानीय लोगों की साझेदारी द्वारा वनों के प्रति जो ममत्व और अपनत्व की भावना हम पैदा करना चाहते हैं, वह आ नहीं सकती । इसलिये वन सम्पदा पर आधारित किसी भी औद्योगिक इकाई को चलाने वाले संगठन का क्षेत्र इस विकास क्षेत्र से बड़ा नहीं होना चाहिए और उसमें कच्चा माल निकालने वाले वन-श्रमिकों, उस क्षेत्र के ग्राम समुदायों और तैयार माल बनाने वाले श्रमिकों की पूंजी और प्रबन्ध में प्रत्यक्ष साझेदारी होनी चाहिए । सुधरे हुए प्लांटों द्वारा लीसे की १०,००० मन क्षमता वाली इकाइयां स्थापित की जांय ।

८- वन प्रशासन में लोगों का भाग

यद्यपि आग और अन्य प्रकार के नुकसान से वनों की रक्षा स्थानीय निवासी करते हैं, परन्तु उनके उत्पीड़न के सबसे बड़े कारण बन भी हैं । इस

परिस्थिति में बदलाव का एक ही रास्ता है कि गांव स्तर से लेकर जिला स्तर तक की पंचायत राज संस्थाओं-ग्राम पंचायत, क्षेत्र समिति, जिला परिषद का वन प्रशासन पर अंकुश रहे ।

वनों के कठोर जीवन से बच कर शहरों की आराम की जिन्दगी बिताने वाले लोग वन-सेवाओं में पहुंच गए । उनके साथ वन-विभाग के दफ्तर भी वन क्षेत्रों से हटकर मसूरी, कालौता और देहरादून में स्थानान्तरित हो गए । यह आवश्यक है कि वन-प्रधान क्षेत्रों की शिक्षा में प्रारम्भ ही से वन-विज्ञान की शिक्षा में प्रारम्भ ही से वन-विज्ञान की शिक्षा को स्थान दिया जावे और वन सेवाओं में यहां के निवासियों को स्थान दिया जावे ।

९- भूस्खलन रोकना

सघन वन क्षेत्रों में विद्युत लाइनें पहुंचाई जायं । जिससे कि वनों के निकट के लोगों को रोजगार के लिये वनाधारित उद्योग स्थापित किये जा सकें तथा ऋजु मार्ग के द्वारा गेले सुरक्षित स्थानों पर पहुंचायें जा सकें जिससे कि पेड़ों के लुढ़काने की पद्धति से भूस्खलन, बढ़ रहे हैं, रोके जा सकें । सभी प्रकार के वनों की कार्य योजना बनाई जावे तथा निकटस्थ पंचायती क्षेत्रों के लिये उपलब्ध कच्चे माल का निर्दिष्ठन अंकित किया जाये ।

अ) मूल्यवान वन-सम्पदा को स्थानीय इकाइयों के द्वारा अर्द्धनिर्मित कराके ही भेजा जाय ।

ब) गांव वालों को कृषि उपकरण के लिये पेड़ आवश्यकतानुसार हर वर्ष मुहय्या किये जायं । जहां पर परम्परागत से जिस पेड़ के जो उपकरण बनते हैं वे चालू रखें जायं ।

१०- गूजरों को बसाया जाए

गूजरों के मवेशी हिमालय की मूल्यवान औषधियों को नष्ट कर रहे हैं तथा स्थानीय गांव वालों के साथ चरान-चुगान पर तनाव बढ़ रहा है । अत: गूजरों को स्थायी तौर से भावर, सहारनपुर या बिजनौर में बसाया जाय ।

११- मैदान और पर्वतीय क्षेत्रों में किराये में समानता होनी चाहिए

यातायात में यात्रियों का किराया मैदान से दुगना है तथा सामान का चार गुना अधिक है । ऋषिकेश से दिल्ली सामान का ५) रु० प्रति क्विंटल है जबकि ऋषिकेश से जोशीमठ तक २१) रु० प्रति क्विंटल लिया जाता है जबकि दोनों दूरियां लगभग समान है । इस प्रकार स्थानीय कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में अधिक किराया देना पड़ता है । इसके लिये तत्काल किराया घटा दिया जावे एवं एक मोटर हैड से दूसरे मोटर हैड एवं रेल हैड तक के लिये माल के किराये में रियायत की जाय ।

१२- ग्राम समुदाय की वनों की मिल्कियत में साझेदारी

वनों की अभिवृद्धि एवं सुरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि उसके निकट एवं गांव वालों का यदि उस सम्पत्ति में प्रत्यक्ष साझेदारी हो तो जो गलत ढंग से ठेकेदारों, दूसरे गांव वालों तथा गांव के ही किसी व्यक्ति के द्वारा चोरी से पेड़ काटे जा रहे हों या विभाग के कर्मचारियों द्वारा गलत ढंग से कटवाये जा रहे हों तो उस पर नियंत्रण हो सकेगा । सामुदायक वनों की सुरक्षित रखने में समुदाय द्वारा प्रत्यक्ष सहयोग मिल सकेगा । इसके लिये वनों की मिल्कियत में ग्राम समुदाय की साझेदारी हो और उसका एक अंश गांव के कल्याणकारी कार्य पर भी खर्च किया जाय । इस प्रकार वनों के स्वामित्व और दायित्व में गांव समाज की साझेदारी होने से जंगल लगाने की ओर गांव प्रेरित होंगे । आज भी रक्षित वनों और गांव के बीच की जमीन कई स्थानों पर खाली है ।

स) वन उपजों पर आधारित उद्योगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावे ।

१३- बांध (बोध) को प्रोत्साहन

हिमालय क्षेत्र के वनों की सुरक्षा हिमालय से निकलने वाली नदियों पर बनने वाले बांधों की सफलता की दृष्टि से भी आवश्यक है । हाल ही में प्रकाशित एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कालागढ़ बांध की मियाद १८५ वर्ष के बजाय मलवा भरने के कारण केवल ४८ वर्ष ही रह जावेगी । यमुना और टौंस तथा भागीरथी पर भी बांध बन रहे हैं । इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि इन नदियों के प्रस्त्रवण क्षेत्रों के वनों को विकसित किया जावे । चौड़ी पत्ती के क्षेत्रों बांज के वनों को जिनकी पानी को रोकने की क्षमता अधिक है, बढ़ावा दिया जावे, परन्तु यह सब तब ही सम्भव है जब सरकार मौजूदा वन नीति में परिवर्तन करे ।

द) वनों को व्यापार की वस्तु के बजाय देश की सुरक्षा के प्रहरी मानना होगा । स्थानीय लोगों को जो वनों के निकट बसते हैं, वन सम्पदा से रोजगार देकर वनों का मित्र बनाना होगा ।

Management by involvement—

Specialists < Agronomy / Scientists] Govt. — Nothing moves till heart & mind is involved

Outsiders — question of opinion

Forests
Economic Resource
Consumers economy
Vs
Forest Ecological resource
Conservation

of both

identify the areas.

&

Love,
Emotion & Sentiment

Forests don't come overnight

Forest is a well integrated Plant & Animal Community — which all the time interacts with the environment

Man made forests

Butcher's eye—
fattening its sheep for slaughter

Chipko & Evolving Concepts

Survey—

Forest development in relation to people
or
relation to earth

Approach

Feature deprivation
Vs

[Decisions by people who have nothing to do with forests — only exploit them